

फर्द अहकाम
खोरी देवी बनाम मोहन का

न्यायालय

स संख्या

50/2015

T-1.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/7/17	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/8/17 को पेश हो। <i>क</i>	
	23/8/17	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5/10/17 को पेश हो। <i>सरिता</i>	
	05/10/17	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/11/17 को पेश हो। <i>क</i>	
	15/11/17	काला द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य रिवाजित रखे जाने से पतावली गत आज्ञानुसार दिनांक 20/12/17 को पेश हो। <i>क</i>	
	20/12/17	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/2/18 को पेश हो। <i>क</i>	
	07/2/18	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य रिवाजित रखे जाने से पतावली गत आज्ञानुसार दिनांक 14/3/18 को पेश हो। <i>क</i>	
	14/3/18	क्र. 10 उपरोक्त वर्ष हेतु समय-वाक्य के पतावली वाक्य वर्ष दिनांक 09/5/18 को पेश हो। <i>क</i>	
	09/5/18	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24/5/18 को पेश हो। <i>क</i>	
	24/5/18	आज यह पतावली न्याय आपके डार केस कोर्टगाम किशनपुरा से पेश हुई। पतावली का अवलोकन किया गया। पतावली	



फर्द अहकाम

छोटी डी बनाम मोहन लाल

नाम न्यायालय

केस संख्या

50/2015

त.।

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कोई तमने समय से क्वेटु त.। हेतु लामित-पली आ रही है मूल वाद घोषणा व अर्थाई निषेधासा का ही प्रकाण से दिनांक 16/4/08 के अन्तरिम अर्थाई निषेधासा जारी की गई है उक्त अन्तरिम अर्थाई निषेधासा को मूल वाद के निष्पत्ति तक उभय पक्षों को पाबंद कोले हुए कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अर्थाई निषेधासा दिनांक 16/4/08 का ता फिलहाल मूल वाद उभय पक्षों को पाबंद कोले हुए कन्फर्म की जाती है पचावली केस के शुभाग देका दर्ज नम्बर से कम है तथा मूल वाद के साथ रहे।</p>	

सहायक कलक्टर
चौदू (जयपुर)